3095/33-3-04-227/9

प्रेषक,

अनीस अंसारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 28 सितम्बर, 2004

विषय : सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कियान्वयन हेतु संस्थागत ढांचा।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या : 3827/33–3–99/227/99, दिनांक 21.2.2000 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासनादेश के प्रस्तर 5 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय पेयजल और स्वच्छता मिशन गठित किया जाता है जो पंचायती राज विभाग के संरक्षण में एक पंजीकृत सोसायटी होगी। उक्त शासनादेश निर्गत होने से पूर्व ही ग्राम विकास विभाग द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गठित कर लिए जाने के कारण शासनादेश संख्या : 5246/33–3–2001–227/99, दिनांक 26.11.01 द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कियान्वयन हेतु पृथक स्वतंत्र राज्य स्तरीय स्वच्छता मिशन एवं जनपद स्तर पर स्वतंत्र जिला स्वच्छता समिति को पंजीकृत सोसायटी के रूप में गठित कराने का निर्णय लिया गया। शासन के उक्त निर्णय के कम में पृथक उ0प्र0 स्टेट सेनीटेशन मिशन का गठन एवं पंजीकरण कराया गया।

भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान तथा स्वजलधारा कार्यकमों में समन्वय हेतु राज्य स्तर पर दोनों कार्यकमों के लिए एकीकृत मिशन का गठन किए जाने की अपेक्षा की गई है। प्रदेश स्तर पर भी यह अनुभव किया गया है कि पेयजल एवं स्वच्छता चूँकि एक दूसरे से जुड़े विषय है अतः दोनों कार्यकमों के कियान्वयन हेतु नोडल विभाग अलग–अलग होने के उपरान्त भी बेहतर समन्वय स्थापित करने के दृष्टिकोण से एकीकृत मिशन का गठन आवश्यक है।

उक्त परिस्थितियों में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गये है:–

1. राज्य स्तर पर स्वजल धारा कार्यकम हेतु गठित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की सर्वोच्च समिति एवं कार्यकारी समिति ही सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के समन्वय का भी कार्य भी करेगी।
2. राज्य स्तर पर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कियान्वयन हेतु पंचायती राज विभाग ही नोडल विभाग है अतः निदेशक, पंचायती राज के नियंत्रण एवं निर्देशन में पूर्व की भांति कार्यकम का कियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। पंचायती राज निदेशालय स्तर पर उप निदेशक(पंचायत)/नोडल अधिकारी टी.एस.सी., राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से समन्वय स्थापित करेंगे तथा वांछित सूचनाएं मिशन के उपयोगार्थ उपलब्ध करायेंगे।
3. जिला स्तर पर जिला स्वच्छता मिशन के स्थान पर जिला पंचायत द्वारा कार्यकम का कियान्वयन सुनिश्चित कराया जाएगा। कार्यकम की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला पंचायत की जब भी संभव हो बैठक होगी, परन्तु यह वर्ष में कम से कम चार बार होगी।

   जिला पंचायत के पर्यवेक्षण एवं मार्ग निर्देशन में अभियान का संचालन जिला स्वच्छता समिति द्वारा किया जाएगा जिसका संघटन निम्न प्रकार होगा :—

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य अधिकारी जिला पंचायत/ मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3. जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य/सचिव
4. अधिशासी अभियंता, जल निगम	सदस्य
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
6. मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
7. जिला विकास अधिकारी	सदस्य
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
9. जिला कार्यकम अधिकारी, बाल विकास परियोजना	सदस्य
10. जिला सूचना अधिकारी,	सदस्य
11. ग्राम पंचायतों के 3 प्रधान	सदस्य

   मंडल में तैनात मंडलीय उपनिदेशक(पंचायत) जिला स्वच्छता समिति के विशेष आमंत्री सदस्य होंगे।
4. जिला स्वच्छता समिति के बैंक खाते का एकल संचालन सम्प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसे संशोधित करते हुए संयुक्त रूप से जिला स्वच्छता समिति के उपाध्यक्ष/मुख्य अधिकारी जिला पंचायत या मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
5. ग्राम स्तर पर कार्यकम का कियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा कार्यकम के कियान्वयन में जल प्रबंध

समिति का सहयोग लिया जाएगा। जिला स्वच्छता समिति से निर्माण कार्यों की धनराशि ग्राम निधि में हस्तांतरित की जाएगी जो जल प्रबंधन समिति के सहयोग से कार्यक्रम का कियान्वयन सुनिश्चित करेगी। स्कूल स्वच्छता का कियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कियान्वयन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

भवदीय,

27.9.04

(अनीस अंसारी)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित –

1. समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत, उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. श्री कुमार आलोक, उपसचिव, पेयजल आपूर्ति विभाग, नवां तल, सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
7. मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन, उ0प्र0।
8. समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पंचायत), उ0प्र0।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

। ध्यान पाल सिंह चौहान ।
उप सचिव।